न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 151 / 2023

1. गीता पत्नी आदुराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 7 एल के एस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. चावली देवी पत्नी कृष्ण लाल जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. सुनील पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. उदाराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. खेतपाल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. भागीरथ पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. मूर्ति देवी पत्नी धनाराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 7 एल के एस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
8. राजी देवी पत्नी टीकु राम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 7 एल के एस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

––प्रार्थीगण

––:बनाम:––

1. जगदीश पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 7 एलकेएस तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. तीजा पत्नी हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. खेतराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. रामचन्द्र पुत्र हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. तारो पुत्री हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7. मत्थरो पुत्री हेतराम जाति मेघवाल साकिन ढाणी चक 15 एलजीडब्लयू, (लिखमीसर) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

––अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व अपील प्राधिकारी अधिनियम

––:: उपस्थित अधिवक्ता ::––

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा — प्रार्थीगण
2. श्री मदनगोपाल मेहरड़ा — अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 8

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22/1/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजिकृत पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शिर्षक मे निवेदित है।

यह कि मिन प्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल के एस के खाता सं. 88/43 के प.नं. 8/283 मु.नं. 31 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 13/2/0. 127, 18 ता 23 व प.नं. 9/283 के मु.नं. 32 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0 228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.202, 5/2/0. 051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 12, 13/1/0.051, की कुल 6.250 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है जिसमे कि प्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 2 का 1/12 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 3 का 1/12 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 4 का 1/12 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 5 का 1/6 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 6 का 1/12 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी सं. 7 व 8 का 1/6 व 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 सलग्न प्रार्थना पत्र है। 3. यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल के एस के खाता सं. 31/21 के प.नं. 8/283 के मु.नं. 31 के किला नं. 3, 4, 7, 8, 13/2/0.126, 14, 17, 24 कुल 1. 897 हैक. नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 सलग्न प्रार्थना पत्र है। 4. यह कि अप्रार्थी सं. 2 ता 7 हेतराम पुत्र श्योकरण के वारिस है हेतराम पुत्र श्योकरण की मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थी सं. 2 हेतराम की पत्नी है अप्रार्थी सं. 3 ता 7 हेतराम के पुत्र व पुत्रीयां है। हेतराम के विधिक वारिसो अप्रार्थी सं. 2 ता 7 ने राजस्व रिकार्ड मे हेतराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज नही करवाया है कृषि भूमि मे हेतराम के विधिक वारिसो का हक व हिस्सा है व उनके कब्जा काश्त में है इस कारण हेतराम की मृत्यु होने के कारण उसके सभी विधिक वारिसो को पक्षकार बनाया गया है। हेतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में निम्नाकृत कृषि भूमि है चक 7 एल के एस खाता सं. 140/115 के प.नं. 8 /283 के मु.नं. 31 के किला . 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0. 228, 16/2/0.025, 25/4/0.227, 25/5/0.013 व प.नं. 9/283 के मु.नं. 32 के किला नं. 13/2/0.202, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0. 025, 17 20 कुल 3.225 हैक. नहरी गैर मु. खाला रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है।

यह कि मिन प्रार्थीगण के नाम सांझा खाता की कृषि भूमि वाद पत्र की दफा 2 मे वर्णित है जिसमे राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है किसी प्रकार का विवाद नही है मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.नं. 8/283 व प.नं. 9/283 जो कि बाद पत्र की दफां 2 मे दर्शाई गई है मे दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.नं. 9/283 के किला नं. 1 ता 5 मे राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज रिकार्ड है व मौके पर [illegible] प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के प.नं. 9/283 मे रास्ता दर्ज रिकार्ड है व मौके पर [illegible] प.नं. 9/283 मे रास्ता की सुविध उपलब्ध है लेकिन चक [illegible] 283 मे आने जाने व कृषि कार्य के औजार लाने ले जाने के लिए प.नं. 9/283 के किला नं. 1 ता 5 मे बने रास्ते से होते हुए प.नं. 8/283 के किला नं. 5 मे बने धोरी खाला के [illegible]र बनी पक्की पुलिया से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 के किला नं. 3/0.025 व 4/0.025 के उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम बने व चालु रास्ते व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 के प.नं. 8/283 के किला नं. 5/1/0.228 के उतरी दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पूर्व से पश्चिम 0. 025 हैक. मे बने व चालु रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आना जाना करते है व कृषि के औजार लाते व ले जाते है व प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 8/283 के किला नं. 3/0. 025 व 4/0.025 व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 की की कृषि भूमि के प. नं. 8/283 के किला नं. 5/1 मे 0.025 हैक. मे बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है व प्रार्थी सं. 1 की प.नं. 8/283 के किला नं. 9 मे रिहायशी ढाणी भी बनी हुई है। इस चालु रास्ता जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि मे से है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए उपलब्ध नही है न ही कोई अन्य नजदीक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने पूर्व मे ही इस रास्ता की एवज मे अप्रार्थी सं. 2 ता 7 को प.नं. 9/283 के किला नं. 13 मे कृषि भूमि दे रखी है प्रार्थीगण के दादा व ससुर व हेतराम के पिता श्योकरण सगे भाई थे इस कारण कृषि भूमि रास्ते मे आने के कारण पूर्व मे ही हेतराम पुत्र श्योकरण को ज्यादा हिस्सा दे दिया गया था लेकिन फिर भी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ते के बदले मे कानून तरीके से डी एल सी रेट अनुसार रास्ता की भूमि की राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के चक 7 एल के एस के प.नं. 8/283 के किला नं. 3/0.025, व 4/0.025 मे उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 जो हेतराम के वारिस है से चक 7 एल के एस के प.नं. 8/283 के किला नं. 5/1/0.228 के उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम 0.025 हैक. रास्ता जो मौके पर चालु है को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकरी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 8 जो कि भू–धारक है. इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। 8. यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के चक 7 एल के एस के प.नं. 8 / 283 के किला नं. 3/0.025, व 4/0.025 मे उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 जो हेतराम के वारिस है से चक 7 एल के एस के प.नं. 8/283 के किला नं. 5/1/0.228 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.025 हैक. रास्ता जो मौके पर चालु है को स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकरी है व तहसीलदार पीलीबंगा को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किए जाने के आदेश फरमाए जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री मदन लाल मेहरड़ा अधिवक्ता हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावाली है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 3 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है क्योंकि कृषि भूमि [illegible] प्रार्थीगण खाता विभाजन कर विशिष्टि किलो में भूमि प्राप्त करने से पूर्व हम अप्रा[illegible] कृषि भूमि में से किसी भी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी [illegible] 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार खाता विभाजन के समय [illegible] की सुविधा दी जा सकेगी एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अभी [illegible] विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। इसलिये मुझ पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि के किस वारीसान को प्राप्त होगी यह भी स्पष्ट नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दफा 5 में वर्णित कथन कतई मनगढ़त मिथ्या व असत्य होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने दफा 5 में हेतराम के पिता श्योकरण व प्रार्थीगण के दादा व ससुर आपस में सगे भाई थे होने का कथन किया है जिससे उक्त दोनो सगे भाईयों के बीच भूमि के हुए खाता विभाजन के समय ही रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर बंटवारा किया जाना चाहिये था लेकिन ऐसा नही किया जाकर अब अप्रार्थीण को तंग परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निराधार तथ्यो पर पेश किया है जो काबिल खारिज के है । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने दिशाहीन व निराध र तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दफा 6 का उल्लेख न कर सीधा ही दफा 7 का उल्लेख किया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जिसे खारिज किया जावे। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से श्री अनिल कुमार सिहाग अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल प्रार्थना पत्र है। अनैक अवसर प्रदान करने पर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का जवाब बंद किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 प्रस्तुत करने पर बाद निर्णय प्रार्थना पत्र एक तरफा कार्यवाही अपास्त की गई वास्ते जवाब समय दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 6 बंद किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि में रास्ता चाहा गया है उक्त भूमि का विवरण प.न. 8/283(31) कि. नं. 1, 2, 9 ता 12, 13/1, 18 ता 23, प.नं. 9/283(32) किला नं. 1 ता 12, 13/1 कुल 6.250 हैक्ट. उदाराम पुत्र मुखराम 1/12 हि., खेतपाल पुत्र चुन्नीराम 1/6 हिस्सा, गीता पत्नी आदूराम 1/6 हिस्सा, चावली पत्नी कृष्णलाल 1/12 हिस्सा, भागीरथ पुत्र मुखराम 1/12 हिस्सा, मूर्तीदेवी पत्नी धन्नाराम 1/6 हिस्सा, राजीदेवी पत्नी टीकूराम 116 हिस्सा सुनील पुत्र कृष्णलाल 1/12 हिस्सा जाति मेघवाल साकिन लिखमीसर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक प्रार्थना पत्र संबंधित काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता मुताबिक ना रिकॉर्ड नहीं लगता है। मुताबिक मौका व मुताबिक रिकॉर्ड अन्य कोई भी कम दूरी का रास्ता नहीं है जो प्रार्थीगण की भूमि को लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है अन्य कोई वैकल्पिक चालू रास्ता मुताबिक मौका व मुताबिक रिकॉर्ड नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना प[illegible]सी प्रस्तुत कर पुनः रिपोर्ट तहसीलदार हेतु निवेदन किया गया [illegible] द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी अस्वीकार किया गया [illegible]

—:आदेश:—

बहस प्रार्थना पत्र 251—ए उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हमारे स्वयम् द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कारण में तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थना पत्र संबंधित काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड नहीं लगता है। मुताबिक मौका व मुताबिक रिकॉर्ड अन्य कोई भी कम दूरी का रास्ता नहीं है जो प्रार्थीगण की भूमि को लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है अन्य कोई वैकल्पिक चालू रास्ता मुताबिक मौका व मुताबिक रिकॉर्ड नहीं है इस लिए तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कम दूरी एवं आत्यांतिक श्रेणी का होने के कारण अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 के चक 7 एलकेएस के प.नं. 8/283 के किला नं. 3/0.025, व 4/0.025 मे उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी सं. 2 ता 7 से चक 7 एलकेएस के प.नं. 8/283 के किला नं. 5/1/0.228 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.025 हैक्ट. रास्ता जो मौके पर चालू है, को स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ता की एवज में डीएलसी की दुगुनी राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 22/01/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:36:25 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा